

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 09.06.2021

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 30 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना खरगपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामकरन पुत्र मोहन लाल नि० लाल नगर थाना खरगपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 161 / 2021, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही –

01. रामनाथ उर्फ कप्तान पुत्र रामसूरत नि० मण्डे सरैया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 86 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 09.06.2021

बलवा व मारपीट करने के 05 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

दिनांक 08.06.2021 को थाना इटियाथोक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जगदीशपुर सम्पत में कुछ लोगो द्वारा एकराय होकर वादी कृपाशंकर शुक्ल पुत्र राम अशीष शुक्ल नि0 जगदीशपुर सम्पत थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के परिवार जन को मारा- पीटा है जिससे वादी की भतीजी गंभीर रूप से घायल हो गयी थी। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना इटियाथोक में मु0अ0सं0-183 / 21, धारा 147,148,149,323,504,506,356,188 भादवि0, 51 आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 3 महामारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमे थाना इटियाथोक पुलिस ने आज दिनांक 09.06.2021 को मुखबिर खास की सूचना पर 05 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. सत्य प्रकाश पुत्र रामगोपाल नि0 जगदीशपुर सम्पत थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. सूर्य प्रकाश पुत्र रामगोपाल नि0 जगदीशपुर सम्पत थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
03. रोहित कुमार पुत्र रामगोपाल नि0 जगदीशपुर सम्पत थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
04. रामगोपाल पुत्र प्रताप नरायन नि0 जगदीशपुर सम्पत थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
05. गुरु प्रसाद पुत्र रामलाल नि0 जगदीशपुर सम्पत थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-183 / 21, धारा 147,148,149,323,504,506,356,188 भादवि0, 51 आपदा प्रबन्धन अधिनियम व 3 महामारी अधिनियम थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 09.06.2021

बलवा व मारपीट करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

दिनांक 08.06.2021 को थाना इटियाथोक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम परसिया गूदर में कुछ लोगो द्वारा एकराय होकर वादी प्रदीप कुमार तिवारी पुत्र राघव राम तिवारी नि० परसिया गूदर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा व वादी के परिवार जन को गाली गुप्ता देते हुए लाठी डण्डा, ईट- पत्थर से मारा- पीटा था। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना इटियाथोक में मु०अ०सं०-182 / 21, धारा 147,148,149,323,504,506,336,188 भादवि०, 51 आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 3 महामारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमे थाना इटियाथोक पुलिस ने आज दिनांक 09.06.2021 को मुखबिर खास की सूचना पर 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. छेदीराम पुत्र स्व० महादेव नि० परसिया गूदर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. अवधेश पुत्र छेदीराम नि० परसिया गूदर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-182 / 21, धारा 147,148,149,323,504,506,336,188 भादवि०, 51 आपदा प्रबन्धन अधिनियम व 3 महामारी अधिनियम थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० भानू प्रताप सिंह मय टीम।